number of college and university teachers benefited, and they warmly welcomed the decision of the then Government.

There were many unresolved issues within the old system itself, and many anomalies have been identified by the teachers' body like the dual scales. Particularly this anomaly is over-highlighted in view of the High Court's decision asking for rectification of this duality of scales within the college and university system. Then, there are problems of conversion of senior scales in the Delhi colleges to the Readers position. Then there are problems of medical benefits and educational allowance.

Now, as a result of the recent decision of the Government of India to introduce new scales for the teachers of the Indian Institutes of Technology, the relativity has been further disturbed. This has led to a situation where Lecturers, Readers and Professors have been put into two categories. I have nothing against the teachers of the Indian Institutes of Technology. They are doing a very fine job. They are good, good professionals. But by the same token, I would not like the teachers of the universities and colleges or even such institutes like the IIT of the Banaras Hindu University which have the same ranking, same professional product, same quality of professional contribution, to be relegated to a secondary position. I am sure that this is not the intention of the Government. But this led to divisiveness where we find that the teachers of the engineering colleges and university systems, the prestigious universities like the Roorkie University, are going to be treated as second class compared to their counterparts in the Indian Institutes of Technology.

Madam, I would like to draw the attention of the Government to the need that the salary scales must be within the framework of a minimum floor and a ceiling. Within these two levels, personal salary, incremental rates or a number of increments could be considered to meet the individual needs.

So, I would suggest, Madam, through this special mention that rigorous professional criteria should be brought behind the revision of the salary scales of all the universities and colleges, Institutes of Technology and Institutes of Management. Secondly, steps must be taken to ensure that no fresh round of noise is brought about within the campuses and the gains of the previous settlement of 1987 are not washed away; that it does not disturb the academic atmosphere and threaten the academic life in the coming months.

I would like to submit through you that the Government should immediately refer this matter to the currently constituted review committee for the education policy so that it can, in its final recommendations, go into this aspect and bring the anomalies within its purview and eradicate them. In the meantime the Government should establish contact with organisations of teachers like Delhi University Teachers Association and the All Indian bodies to re-assure them that nothing will be allowed to hamper their interests and the Government will immediately respond to their concern and take early steps so that their concerns are assuaged and the academic life in the country is not allowed to be disrupted.

[The Vice-chairman, (PROF. CHANDRESH P. THAKUR,) In The Chair]

**Discontent among gas-affected people in Bhopal.**

**श्री सुरेश पचौरी** (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं क्षोभ के साथ भोपाल में गैस पीड़ितों

[श्री सुरेश पचौरी]

के साथ होने वाले अन्याय की ओर इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं। महोदया, यूनियन कार्बाइड गैस दुर्घटना त्रासदी झेलते भोपाल के लोगों पर मगरमच्छी आंसू बहाते हुए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार [उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) पीठासीन हुए] ने 12 जनवरी, 1990 को यह घोषणा की थी कि गैस कांड से प्रभावित सभी लोगों को अंतरिम राहत तुरन्त प्रदान की जायेगी और यह राशि यूनियन कार्बाइड समझौते में तय 47 करोड़ डालर के मुआवजे से अलग होगी, इसे उसमें से नहीं काटा जायेगा। 12 जनवरी, 1990 को प्रधान मंत्री ने भी अपने भोपाल प्रवास के दौरान इसी बात को दोहराया था। परन्तु इस सरकार की कथनी और करनी में क्या अंतर है वह गैस पीड़ितों से भरवाये जा रहे फार्मों से स्पष्ट है। कमिश्नर फार वेलफेयर आफ भोपाल गैस लीकेज डिजास्टर विक्टिम्स के नाम से भरवाये जा रहे बिन्दु दो में यह साफ लिखा गया है कि गैस पीड़ितों से अंतरिम राहत की राशि उन्हें मिलने वाले मुआवजे की राशि में से काटी जायेगी। प्राकृतिक आपदा से मजबूर मजलूमों को धोखा देने की इससे बुरी और क्या बात हो सकती है कि आहों और कराहों से पीड़ित आबादी को बैंक कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न तरह-तरह की परेशानियों से भी जूझना पड़ रहा है। सरकार की वचनबद्धता पर सवालिया निशान और क्या हो सकता है कि कर्ज लेकर जिंदगी बसर करने वालों से नोटिस तामीली के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। गैस राहत केन्द्र में भ्रष्टाचार, पास-बुक देने वाले बैंक अधिकारियों की अनुपस्थिति, काम में धीमी गति से न केवल गैस पीड़ित बल्कि भोपाल की सारी मानवता इससे सिसक रही है। केन्द्रीय सरकार की नीति के दोगलेपन से वहां की जनता परेशान है लेकिन वे सारे लोग जो कि सरकार में बैठे हुए हैं वह चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। गैस पीड़ितों के उपचार के लिये खरीदी हुई मशीनें बंद कमरों में पड़ी हुई हैं और जंक खा रही है। नेत्र परीक्षणों के लिये आयातित मशीनों के बावजूद सिर्फ टार्च की रोशनी से ही गैस पीड़ितों की आंखों को देखा जा रहा है। दर्जनों एक्सरे, ई.सी.जी. मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा है। सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि गैस राहत केन्द्र द्वारा भरवाये जा रहे फार्मों की शर्तें, जो गैस पीड़ितों के सामने रखी गई हैं, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा के विपरीत हैं और उन सारी शर्तों को वापस लिया जाना चाहिये। महोदय, राहत के मामले में केन्द्र सरकार ने भोपाल के गैस पीड़ितों के साथ धोखा किया है और राज्य सरकार भी इस संबंध में चुप्पी साधे हुई है। यह अत्यन्त निंदनीय है और उस घोषणा के विपरीत है जो घोषणा इस सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ने की थी। राहत राशि जो उन्हें प्रदान की जा रही है। वह मुआवजे की राशि में से नहीं काटी जाएगी राहत राशि कटौती संबंधी अधिकार पत्र देने की बात उन सातों वचनों में शरीक की गई है जो पहचान केन्द्रों में पास बुक बनाने से पूर्व गैस पीड़ितों से लिये जा रहे हैं। यह सातों वचन भरवाए जा रहे हैं यह बिलकुल बेतुके हैं। उसमें से एक और चौकाने वाली बात यह है कि यह जो सुविधाएं गैस पीड़ितों को दी जा रही हैं इन सुविधाओं का लाभ उनके उत्तराधिकारी को नहीं मिलेगा। यदि बीच से उस गैस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी जो स्वयं भी गैस से प्रभावित हुआ है उन्हें गैस प्रभावितों को दिये जाने वाले लाभ से वंचित कैसे रखा जा सकता है? मान्यवर, यह एक सामान्य दृष्टि से सोचने वाली बात है। सातों वचन जो गैस पीड़ितों से भरवाए जा रहे हैं वह राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार द्वारा 12 जनवरी, 22 जनवरी, 22 फरवरी और 5 मार्च 1990 को की गई घोषणाओं के बिलकुल विपरीत है। 12 जनवरी को नई दिल्ली में केन्द्रीय विधि मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी ने एक प्रेस वार्ता में गैस पीड़ितों को अंतरिम राहत देने की जो पहली घोषणा की थी उसके अनुसार भोपाल के गैस पीड़ितों को एकबार अंतरिम राहत देने का फैसला किया है यह राहत यूनियन कारबाइड से हुए 47 करोड़ डालर के मुआवजे समझौते के अतिरिक्त होगा। यह प्रेस वार्ता में विधि मंत्री जी ने स्वीकारा था। इसकी

पुष्टि प्रधान मंत्री जी ने 22 जनवरी, 1990 को अपने एक द्विवसीय भोपाल प्रवास के दौरान एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए की थी । मगर भोपाल ने स्थापित हितग्राही पहचान केन्द्रों पर अभी तक कोई व्यवस्थित कामकाज नहीं हो रहा है । वहां स्टाफ का अभाव है और कर्मचारियों के असहयोग के कारण तथा बैंक कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण गैस पीड़ितों को बड़े पैमाने पर पास बुकें नहीं मिल रही हैं । मान्यवर, यह एक पेपर है जिसमें वह बोर्ड छपा हुआ है जिसपर यह लिखा हुआ है कि बैंक अधिकारी नहीं है, अतः 24-5-90 और 25-5-90 के हितग्राहियों के खाते खुलवाने की कार्यवाही सम्भव नहीं है जबकि राहत की पुष्टि से सरकार द्वारा गैस प्रभावितों को पास बुकें दिये जाने की घोषणा की गई थी । मान्यवर, यह सारी उन घोषणाओं के विपरीत है जो सरकार ने की है। इसके अतिरिक्त, महोदय, सरकार ने यह घोषणा की थी कि भोपाल गैसे से प्रभावित व्यक्तियों पर होने वाले आफटर इफेक्ट्स को देखते हुए वहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी और इन सारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो खर्च पड़ेगा वह केन्द्रीय शासन वहन करेगा । न केवल मशीनें जंक खा रही हैं बल्कि वह सारी सुख सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि आफटर इफेक्ट्स को मद्दे नज़र रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं में जो खर्च हो वह केन्द्रीय सरकार वहन करे । राज्य सरकार ने 371.29 करोड़ रुपये का सात वर्षिय एक्शन प्लान भोपाल गैस प्रभावितों के हितों को मद्दे नज़र रखते हुए केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसकी अनुशंसा नवें फाइनेंस कमीशन ने की है। केन्द्र सरकार ने इसे भी पूरा करने का आवश्वासन दिया है । मैं यह मांग करूंगा कि सारी राशि मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए और गैस पीड़ितों को जो राशि दी जाए उसे मुआवजा की राशि में से न काटी जाए ।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Dr. Nagen Saikia. Let me tell you, lunch has not been eliminated but lunch hour has been curtailed, So be brief.

**Growth of terrorism in Assam.**

DR. NAGEN SAIKIA (Assam): I will finish within the time allotted to me.

Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a matter of grave concern that terrorism is raising its head all over the country in many forms. The voice of non-violence is becoming inaudible gradually. It is thereby high time for all of us to think over the issue seriously and to find out solution to the problem. In Assam also under the name of ULFA an armed force is raising its head. But it would be highly wrong to say, as some attempt to do, that the forces like ULFA are raising their heads due to the weakness of the AGP Government in Assam and that some from among the AGP and the AASU have given support to it. Rather, the Government and all the sensible people are deploring all acts of violence and appealing to the youths to give up the path of violence and help for strengthening the unity and integrity of the country and to contribute for the development of our country. But what we should do is to find out the root causes of this uprising with a view to removing those causes. Why the secessionist tendency is finding place in the mind of a section of youth ? Why these youths, risking their lives are taking arms in their hands ? This is because of their genuine love for the country and the people, this is because of their resentment against the negligence of the Centre towards the State, this is because of their experience of seeing the erosions of all values in the country, this is because of seeing corruption. in all high places and this is because of the demolition of all democrative norms and ethics during the misrule of the previous Government.